न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 124/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01243
दायर दिनांक :– 30.05.2019 निर्णय दिनांक :– 18.02.2025

1. धनसिंह पुत्र खीवसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2. भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
3. भगवन्तकंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
4. भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
5. अमरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
6. दयालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
7. अणदकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. एक्में (एसीएमई) चितोड़गढ़ सोलर एनर्जी प्रा. लि. फ्लेट सं. 104, 4637/20, मुनिश प्लाजा, अंसारी रोड़, दरियागंज नई दिल्ली–110002 जरिये प्रतिनिधि पंकज पारीक

–अप्रार्थी

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद करवाने अभिलेख दुरूस्ती, घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण का पीढियों से कदिमी कब्जा काश्त का खेत ग्राम अखाधना में वक्त भू–प्रबन्ध सम्वत 2015 में प्रार्थीगण के पूर्वज खींवसिंह पुत्र मगसिंह एवं सहहिस्सेदार कानसिंह, सिदारसिंह पि. बुलीदानसिंह उभोक्ता जागीरदार के नाम उनकी खुदकाश्त भूमि खेत खसरास नम्बर 3 रकबा 81–10 बीघा पैमाईश दर्ज अभिलेख की गई। भू प्रबन्ध विभाग के खतौनी बन्दोस्त ग्राम अखाधना सम्वत 2015 से 2031 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पूर्वज खींवसिंह द्वारा अपने नाम खातेदारी की वादग्रस्त भूमि 81--10 बीघा का विकय कर हस्तान्तरण करने के बाद खसरा नम्बर 3 में शेष बची हुई 140–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में अंकित नहीं है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त पीढियों से कदिमी चला आ रहा है प्रार्थीगण वक्त भू प्रबन्ध वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

भूमि खसरा नम्बर 3 के भू प्रन्बध अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये फिल्ड बुक के आधार पर नक्शा के माफिक भूमि का रकबा दुरूस्त करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का वाद मजबूत दस्तावेजी सबूत के आधार पर पेश है तथा निरन्तर कब्जा काश्त चला आने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम हरीसिंह गन पटवार क्षेत्र शेखासर के खसरा नम्बर 3 रकबा 81–10 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और प्रार्थीगण के पूर्वज खींवसिंह ने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बर 3 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है। अगर वाद की इस्तदुआ अनुसार खसरा नम्बर 3 का रकबा सेटलमेंट के रकबे से 140–00 बीघा बढोतरी की जाती है तो उससे सम्पूर्ण पटवार मण्डल का रकबा 140–00 बीघा बढ जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के है। पत्रावली बहस में रखी गयी

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त के पूर्व खातेदार खींवसिंह पुत्र मगसिंह ने अपने नाम सम्पूर्ण भूमि का समय समय पर बेचान कर दिया था। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)